न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या:—37 / 2022 दायर दिनांक:—09.06.2022

जीसीएमएस नं. 2022 / 289

1. रामस्वरूप
2. विश्राम
3. शिवसिंह

पिसरान रामजीलाल जाति मीना निवासी कटकड तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राज0

————प्रार्थीगण

बनाम

1. बद्री प्रसाद पुत्र हरनारायण
2. मनीराम पुत्र पितराम
3. बाबू
4. रामकेश

पिसरान जयराम

5. सरदार पुत्र कमल
6. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील हिण्डौन सिटी

जाति—मीना, निवासी—कटकड तहसील—हिण्डौन जिला—करौली राज0

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बावत् पत्थर गढी व सीमाज्ञान
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित —1.श्री शांतिस्वरूप शर्मा अधिवक्ता सायल
2.पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 12-7-24

प्राथीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 128 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की आराजीयात खाता संख्या नया 944 खसरा न0 740 रकबा 41 ऐयर तथा 783 रकबा 15 ऐयर तथा खसरा न0 995 रकबा 34 ऐयर वाके ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन में स्थित है, जिसको प्रार्थीगण काबिज काश्त करते चले आ रहे है। तथा उपयोग उपभोग कर सरकारी लगान अदा करते चले आ रहे है।

प्राथीगण अपनी आराजीयात को शांति पूर्वक उपयोग उपभोग कास्त करते चले आ रहे है। गैरसायलान द्वारा पूर्व में विवाद करने पर प्रार्थीगण ने सीमाज्ञान करवाने की दरखाश्त तहसीलदार हिण्डौन के यहा आराजीयात खसरा न0 995 रकबा 0.34 है0 वाके ग्राम कटकड के बाबत पेश की थी, जिस पर तहसीलदपार हिण्डौन द्वारा प्रार्थीगण की आराजीयात खसरा न0 995 रकबा 0.34 है0 का मौके पर जाकर सीमाज्ञान किया गया। यह सीमाज्ञान दिनांक 14.06. 2018 को किया गया जिसकी फर्द मौका रिपोर्ट तहसीलदार हिण्डोन के यहा पेश की गयी थी।

इसके बाद प्रार्थीगण ने अपनी उक्त भूमि के सीमाज्ञान होने के बाद अप्रार्थीगण ने तहसीलदार, पटवारी हल्का के समय यह स्वीकार किया की आप जब चाहेगें, आप अपनी जमीन की चारी दीवारी /पत्थरगढी कर लेना हम कोई रोक टोक नहीं करेगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.15 09:43:28 IST
Reason: SelfAttested

घटना दिनांक 05.06.2022 को समय करीब 11 बजे कि प्रार्थीगण अपनी आराजीयात भूमि खसरा न0 995 रकबा 0.34 है0 वाके ग्राम कटकड की चार दीवारी बाउण्ड्री करने की तैयारी कर रहे थे, और मजदूर कारीगर प्रार्थीगण ने बुला लिये थे कि इतने में ही गैरसायलान मौके पर आ गये और प्रार्थीगण से कहा कि अब तुम लोग चार दीवारी पत्थरगढी नहीं कर सकते हम चार दिवारी नहीं करने देगें इस पर प्रार्थीगण ने कहा इसका पूर्व तहसीलदार द्वारा दि0 14.06.2018 को सीमाज्ञान हो गया है और आपलोगो ने हमसे कहा कि आप जब चाहो सीमाज्ञान करवा लेना। अब आप सीमाज्ञान नहीं करने दे रहे हो। प्रार्थीगण ने काफी हाथा जोडी की तथा गांव ने गणमान्य लोगों से भी समझवाया लेकिन गैरसायलान अब खुद मानने को तैयार नहीं है, तथा अपनी हठधर्मी पर आमादा है। और सायलान को उनकी भूमि की पत्थर गढी नहीं करने दे रहे है।

प्रार्थना पत्र पत्थर गढी व सीमाज्ञान पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की आराजीयात मुतजिक्रा मद न0 1 प्रार्थना पत्र में से आराजी खसरा न0 995 रकबा 0.35 है0 वाके ग्राम कटकड का सीमाज्ञान पुनः करवाया जाकर प्राथीगण की जमीन की पत्थरगढी व चारदीवारी करवाये जाने की कार्यवाही करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तबल किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार कटकड द्वारा पत्रांक 460 दिनांक 24.06.2024 जबाब पेश किया गया । पटवारा मण्डल कटकड के ग्राम कटकड की आराजीयात खसरा नम्बर 995 रकबा 0.34 है0 किस्म चाही–1 खाता संख्या 944 वर्तमान जमाबंदी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर की मौके की जांच की गई। मौके पर उक्त खसरा नम्बर में चारों तरफ लगभग 6 फीट उंची बाउण्ड्री (डन्डा) कराया हुआ है जिसमें उक्त आराजीयात के दक्षिणी–पश्चिमी कोने व उत्तर–पूर्वी कोने पर विवाद होने के कारण उक्त हिस्सा छोडा हुआ है। उक्त भूमि का पूर्व में ही सीमाज्ञान किया जा चुका है। उक्त विवादित आराजी भूमि मौके की जांच का सीमाज्ञान व पत्थरगढी मौका मजिस्ट्रेट व पुलिस जाब्ता की उपस्थिति में ही किया जाना संभव होने के संबंध में अभिशंषा की है। जबाब शामिल पत्रावली किया गया।

प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071–74, नकल फर्द मौका रिपोर्ट ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन दिनांक 14.06.2018 पेश किये है।

उभयपक्ष वकील उपस्थित। प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थी वकील ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और अवगत कराया है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 995 रकबा 0.34 है0 का पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार हिण्डौन को दिये जाने का निवेदन कि[illegible] कार सरकार द्वारा अपने जबाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को [illegible] भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी मौका मजिस्ट्रेट व पुलिस जाब्ता की उपस्थिति में ही किया जाना संभव होने के संबंध में अभिशंषा की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.15 09:43:28 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्षकारान को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी

खसरा नम्बर 995 रकवा 0.34 है0 रामस्वरूप पुत्र रामजीलाल हिस्सा 1/3 जाति मीना सा. ग्राम खातेदार, विश्रामसिंह पुत्र रामजीलाल हिस्सा 1/3 जाति मीना सा.ग्राम खातेदार, शिवसिंह पुत्र रामजीलाल हिस्सा 1/3 जाति मीना सा.ग्राम खातेदार वाके ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर एवं नयाब तहसीलदार कटकड की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 995 का पुनः सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार हिण्डौन को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसे हालात में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भू–राजस्व अधिनियम की धारा 128 के तहत स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि आप मौके पर पहुँचकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 995 रकबा 0.34 है0, ग्राम कटकड का मौके पर सीमाज्ञान करवाते हुए पत्थरगढी करावें, सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की कार्यवाही करने से पूर्व तारीख एवं समय निशिचित करते हुए खसरा नम्बर 995 के सभी खातेदारों को मौके पर उपस्थित रहने हेतु नोटिस जारी करें तथा प्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की नियमानुसार फीस तहसीलदार हिण्डौन के यहाँ 7 दिवस में जमा करावें। पालना रिपोर्ट तहसीलदार हिण्डौन एक माह में इस न्यायालय में पेश करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 12.07.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.15 09:43:28 IST
Reason: SelfAttested

(हेमराज गुर्जर) 12/7/24
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली